



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275778
CG-DL-E-27082026-275778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4510]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4510]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4695(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिला, तहसील समुद्रपुर, जाम गांव में बायपास बांधने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (पुराना राजमार्ग-7) (नागपुर-हैदराबाद सेक्शन) के कि.मी.- 61.100 से कि.मी. 64.662 तक भू-खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् “उप मण्डल अधिकारी और विशेष भूमि अर्जन अधिकारी हिंमणघाट” को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात, तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (पुराना एन.एच.-7) कि.मी. 61.100 से कि.मी. 64.662 तक के जाम बायपास के लिए अर्जित की जानेवाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: वर्धा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: समुद्रपुर					
गांव का नाम: जाम					
1	108	निजी	कृषि (क्लास-1)	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
2	130/2	निजी	कृषि (क्लास-1)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
3	209/2/A/1/1	निजी	अकृषिक (क्लास-1)	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
4	209/2/A/1/30	निजी	अकृषिक (क्लास-1)	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
5	209/2/A/1/31	निजी	अकृषिक (क्लास-1)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
6	209/2/A/1/32	निजी	अकृषिक (क्लास-1)	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
7	4	निजी	कृषि (क्लास-1)	0.0207 (हेक्टेयर)	0.0207
8	5/1	निजी	कृषि (क्लास-1)	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
9	7/1/A	निजी	अकृषिक (क्लास-1)	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
10	7/2	निजी	कृषि (क्लास-1)	0.435 (हेक्टेयर)	0.435
11	8	निजी	कृषि (क्लास-1)	0.097 (हेक्टेयर)	0.097
Total					0.7127

[फा. सं. 99/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4695(E).— In exercise of powers conferred by subsection (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for land acquisition for construction of Jam Bypass on NH-44 (Old NH-7) in the stretch

of land from km 61.100 to km 64.662, village-Jam, Taluka-Samudrapur, District of Wardha in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land for the above said purpose,

Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the use of such land for the aforesaid purpose under sub section(1) of section 3C of the said Act,

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, The Sub-Divisional Officer/Special Land Acquisition Officer, Hinganghat in the State of Maharashtra, in writing and shall set out the grounds thereof and the said competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under subsection (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person, at the office of the said competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch of land for Jam Bypass on the National Highway No. 44 (Old NH-7) from km 61.100 to km 64.662, District Wardha in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: WARDHA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Samudrapur					
Village: Jam					
1	108	Private	Agriculture (Class-1)	0.025 (Hectare)	0.025
2	130/2	Private	Agriculture (Class-1)	0.01 (Hectare)	0.01
3	209/2/A/1/1	Private	Non Agriculture (Class-1)	0.02 (Hectare)	0.02
4	209/2/A/1/30	Private	Non Agriculture (Class-1)	0.02 (Hectare)	0.02
5	209/2/A/1/31	Private	Non Agriculture (Class-1)	0.01 (Hectare)	0.01
6	209/2/A/1/32	Private	Non Agriculture (Class-1)	0.03 (Hectare)	0.03
7	4	Private	Agriculture (Class-1)	0.0207 (Hectare)	0.0207
8	5/1	Private	Agriculture (Class-1)	0.04 (Hectare)	0.04
9	7/1/A	Private	Non Agriculture (Class-1)	0.005 (Hectare)	0.005
10	7/2	Private	Agriculture (Class-1)	0.435 (Hectare)	0.435
11	8	Private	Agriculture (Class-1)	0.097 (Hectare)	0.097
Total					0.7127

[F. No. 99/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director